भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †41
सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

भारत गौरव परियोजना

†41. श्री शिशिर कुमार अधिकारीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश में कोविड के पश्चात् पर्यटन क्षेत्र का पुनर्विकास करने का है;

(ख) इसके लिए भारत गौरव परियोजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता से पर्यटन को विकसित करने का सरकार का प्रस्ताव क्या है; और

(ग) भारत गौरव परियोजना के माध्यम से निजी क्षमता के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं और सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में होटल और पर्यटन उद्योगों को कोविड के बाद पुनर्वास के लिए क्या प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय राहत उपायों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है जिनसे भारतीय पर्यटन उद्योग की बहाली में लाभ मिलने की आशा है ।

(ख) और (ग) : रेल मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि भारतीय रेल ने पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों और अन्य संभावित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भारत तथा पूरे विश्व के लोगों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भव्य ऐतिहासिक स्थानों को दर्शाने के उद्देश्य से तैयार की गई भारत गौरव ट्रेन (बीजीटी) नीति के अंतर्गत थीम आधारित पर्यटन परिपथ ट्रेनों की शुरूआत की है ।

यद्यपि इस नीति में रेलवे द्वारा किसी प्रत्यक्ष रोजगार सृजन का प्रावधान नहीं है तथापि यह आशा है कि परिवहन, मनोरंजन, होटल, खानपान, ईंधन और अन्य सेवा क्षेत्र (हस्तशिल्प, वस्त्र आदि) जैसे पर्यटन के क्षेत्र में लोगों के लिए बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के सृजन में सहायता मिलेगी ।

भारत गौरव ट्रेन नीति का विवरण http://bharatgauravtrains.indianrailways.gov.in पर देखा जा सकता है ।

*****

अनुबंध

भारत गौरव परियोजना के संबंध में दिनांक 18.07.2022 के लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †41 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

कोविड के बाद देश के पर्यटन क्षेत्र के पुन: विकास के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय राहत उपाय निम्नलिखित हैं :

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है । ऋण की अवधि 4 साल की होगी और 12 महीने की ऋण-स्थगन अवधि होगी ।

ii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को प्रत्येक के लिए मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iii. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगन, बाकी के लिए @9 प्रतिशत दंडात्मक ब्याज के साथ।

iv. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 संकट को ध्यान में रखते हुए, अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत प्रदान की है ।

v. भारत सरकार ने 31.03.2021 को पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 3.0 शुरू की है । आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है । आतिथ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रु. की अतिरिक्त संचयी निधि का प्रावधान भी किया गया है । ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 31.03.2023 तक या 5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है ।

vi. 28 जून, 2021 को, सरकार ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संवर्धन और विकास तथा रोजगार के उपायों को गति प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की । पैकेज में तीन व्यापक श्रेणियों में कुल 17 उपाय शामिल हैं, जिसमें 'महामारी से आर्थिक राहत, स्वास्थ्य और पुनर्जीवित यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ' और 'विकास और रोजगार के लिए प्रोत्साहन' शामिल हैं ।

vii. पर्यटन मंत्रालय ने 'कोविड प्रभावित पर्यटन सेवा क्षेत्र हेतु ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएटीएसएस)' की शुरूआत की है जिसका लक्ष्य अपनी देयताओं को पूरा करने और कोविड-19 महामारी से प्रभावित व्यवसाय को दोबारा शुरू करने में संकटग्रस्त पर्यटन क्षेत्र की सहायता के लिए उन्हें कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना है । इस योजना के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित टूर ऑपरेटर/ट्रैवल एजेंटों/पर्यटन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आरएलजी/आईआईटीजी तथा राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुमोदित पर्यटक गाइडों में से प्रत्येक 1.00 लाख रु. तक का ऋण प्राप्त कर सकता है । यह योजना पहले से ही 18 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से प्रचालनरत है । इस योजना की वैधता अवधि एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2023 तक अथवा इस योजना के तहत 250.00 करोड़ रु. की गारंटी जारी होने तक के लिए बढ़ा दी गई है ।

viii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों/एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है ।

ix. होटलों और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/पुनः अनुमोदन और वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है/समाप्त होने की संभावना है, को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है ।

x. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके ।

xi. देश में इनबाउंड पर्यटन को बहाल करने और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने संभावित पर्यटन बाजारों के विदेशी पर्यटकों को पहले 5 लाख वीजा नि:शुल्क प्रदान किए हैं । पहले 5 लाख पर्यटक वीजा जारी किए जाने के दौरान नि:शुल्क वीजा का लाभ किसी एक पर्यटक को एक ही बार मिलेगा ।

xii. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के परिणामस्वरूप पर्यटन मंत्रालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से व्यवसाय की निर्बाध बहाली के लिए पर्यटन हितधारकों, होटलों और रेस्तरां को दिशानिर्देश/निर्देश जारी करता है ।

xiii. गृह मंत्रालय ने दिनांक 15 मार्च, 2022 से 156 देशों के विदेशी नागरिकों के लिए ई-पर्यटक वीजा बहाल कर दिया है । इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में व्यापक वैक्सीन कवरेज को देखते हुए और हितधारकों के परामर्श से भारत सरकार ने दिनांक 27 मार्च, 2022 से भारत से आवागमन के लिए अधिसूचित वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाएं बहाल कर दी हैं ।

*****